2009:सी.जी.एच.सी:5975

प्रकाश हेतु अनुभोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3809/2007

ऋचा मिश्रा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

तथा

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3202,3203,3204,3841 एवं 4294 वर्ष 2008

निर्णय की उदघोषणा हेतु दिनांक 16 नवंबर, 2009 को सूचिबद्ध करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के.अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2009:सी.जी.एच.सी:5975

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3809/2007

याचिकाकर्ता ऋचा मिश्रा

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

तथा

रिट याचिका (सेवा) संख्या 3202,3203,3204,3841 एवं 4294 वर्ष 2008

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिकाएं)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

प्रस्तुत: श्री रणबीर सिंह मरहास और श्री प्रतीक शर्मा संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।
श्री यशवंत सिंह ठाकुर, राज्य के उप महाधिवक्ता।
श्री बी.डी. गुरु लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता।
श्री विनय पांडेय चयनित अभ्यर्थियों के अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 16 नवंबर, 2009 को पारित)

1. रिट याचिका (सेवा) संख्या 3809 वर्ष 2007 और रिट याचिका (सेवा)संख्या 3202,3203,3204,3841 और 4294 वर्ष 2008 में चूँकि विधि का एक ही प्रश्न सम्मिलित है। अतः इनका समाधान इस न्यायालय के समान आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. उक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "पीएसी") द्वारा जारी दिनांक 17 मई, 2007 की चयन/वरीयता सूची को इस आधार पर रद्द करने की मांग की है कि यह छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम,

2005 (संक्षेप में "नियम, 2005") का उल्लंघन है और साथ ही उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश दे कि वे उप पुलिस अधीक्षक (संक्षेप में "डिप्टी एस.पी.") के पद के लिए नियम, 2005 के अनुरूप सभी परिणामिक लाभों के साथ एक नई चयन/वरीयता सूची जारी करें।

3. संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्य यह है कि उत्तरवादी / पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से विभिन्न लोक सेवाओं और पुलिस सेवाओं के पदों के चयन के लिए 27 अगस्त 2005 को एक विज्ञापन जारी किया (अनुलग्नक – पी/3 डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3809/2007) के परीक्षा 2005 (संक्षेप में, "परीक्षा - 2005") राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2003 (संक्षेप में "नियम, 2003") के अनुसार आयोजित की गई थी। यद्यपि, उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2000 (संक्षेप में, "नियम 2000") के प्रावधनों को परीक्षा 2005 में लागू किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि नियम, 2005 आक्षेपित विज्ञापन 27 अगस्त, 2005 को जारी होने से बहुत पहले अर्थात 28 जून, 2005 से लागू हुए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, प्रशिक्षण, जेएनपीए, पीटीसी, पीटीएस, सुरक्षा, लाइंस आदि) क्षेत्र अधीक्षक और सहायक कमांडेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए नियम, 2000 के अंतर्गत न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष थी, जबकि विद्यमान नियम, 2005 के अंतर्गत न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। आयु के संदर्भ में 27 अगस्त, 2005 के विज्ञापन में निर्दिष्ट समय सीमा तिथि 1 जनवरी, 2006 निर्धारित की गई थी।

5. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विज्ञापन के अनुसरण में उन्होंने आवेदन किया, चयन प्रक्रिया में भाग लिया और सफलतापूर्वक चयनित हुए, लेकिन चयन/वरीयता सूची जारी करने के समय

अधिकतम आयु अर्थात 25 वर्ष से अधिक होने के आधार पर उनके नामों पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया, क्योंकि विज्ञापन और नियम, 2000 के अनुसार याचिकाकर्ताओं की आयु 25 वर्ष से अधिक हो गई है।

6. याचिकाकर्ता की याचिका संख्या 3809/2007 के अनुसार, उन्हें उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि वे छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी विभाग में कार्यरत हैं, जहाँ उन्हें 8 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्राप्त है। फलतः उक्त रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई है।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मरहास और श्री शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि पीएससी द्वारा जारी दिनांक 17 मई, 2007 की चयन/वरीयता सूची अवैध, मनमानी और नियम, 2005 के विपरीत है। नियम, 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है जबकि याचिकाकर्ताओं की आयु 1 जनवरी, 2006 को 28 वर्ष से कम है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता परीक्षा 2005 में उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिए विद्यमान नियम, 2005 के स्थान पर नियम, 2000 को लागू करने में उत्तरवादी अधिकारियों की गलती के लिए पीड़ित नहीं हो सकते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर ने तर्क प्रस्तुत किया कि गृह विभाग द्वारा पीएससी को प्रथम अधियाचना 27 सितंबर, 2004 को (अनुलग्नक - आर 1/4 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3809/2007) में भेजा गया था और जिसमे नियम, 2000 का पालन करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। तथापि, 22 मार्च, 2005 की दूसरी संशोधित अधियाचना (अनुलग्नक - आर 1/5 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3809/2007) में भी नियम, 2000 का पालन करने का उल्लेख किया गया था। इसके पश्चात्, 28 जून,2005 को केवल नियम, 2005 अस्तित्व

में आये व प्रभावी हुए। केवल तृतीय अधियाचना दिनांक 18 अप्रैल,2006 (अनुलग्नक - आर 1/6 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3809 वर्ष 2007) में नियम, 2005 का पालन करने का उल्लेख किया गया है। तथापि, उक्त अधियाचना से पूर्व 27 अगस्त, 2005 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

9. यद्यपि, याचिकाकर्ता द्वारा डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3809 वर्ष 2007 में आयु में छूट का लाभ न दिए जाने के संबंध में दिए गए तर्क का संबंध है, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ऋचा मिश्रा 24 जनवरी, 2006 को शासकीय सेवा में आयी , जबकि उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये विज्ञापन 27 अगस्त, 2005 को जारी किया गया था और आयु में छूट के लिए निर्दिष्ट समय सीमा तिथि 1 जनवरी, 2006 थी। वस्तुतः याचिकाकर्ता को शासकीय विभाग में सेवा से कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पीएससी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु ने तर्क प्रस्तुत किया कि पीएससी ने केवल गृह विभाग द्वारा की गयी अधियाचना के अनुसार कार्य किया और उक्त अधियाचन में पीएससी को नियम, 2000 के अनुसार प्रक्रियाओ का स्पष्ट निर्देश दिया गया है और उक्त निर्देशों के आधार पर 27 अगस्त, 2005 का विज्ञापन जारी किया गया है। चयन/वरीयता सूची जारी होने के पश्चात् नियुक्ति आदेश जारी किए गए और बहुत से उम्मीदवार अपने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर चूके हैं और पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त कर हैं । उचित व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना रिट याचिकाएं आवश्यक पक्षकारों के सम्मिलित न किये जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। यदि चयन सूची रद्द की जाती है, तो यह पूरी चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और लोक निधि को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया की परीक्षा प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ताओं ने उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिए अपनी प्राथमिकता का विकल्प बिल्कुल नहीं दिए है और प्राथमिकता दिए बिना वे यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिए चुना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता 27 अगस्त, 2005 के

विज्ञापन में निर्धारित मानदंडो के आधार पर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हुए है और इस प्रकार,बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने और भाग लेने के बाद, याचिकाकर्ता पश्चातवर्ती चरणों में इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं।

11. चयनित अभ्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे का तर्क है, की यदि वरीयता में फेरबदल किया जाता है और चयनित अभ्यर्थियों को उप पुलिस अधीक्षक के पद के अलावा कोई अन्य पद दिया जाता है तो यह दोहरा संकट होगा। वर्तमान में वे द्वितीय श्रेणी के पद पर हैं और फेरबदल के बाद यदि उन्हें तृतीय श्रेणी का पद दिया जाता है तो यह उनके लिए नुकसानदेह होगा, भले ही इसमें उनकी कोई गलती ना हो, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा की जाए । याचिकाकर्ताओं ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक पक्ष प्रतिवादी/उत्तरवादी बनाए बिना यह रिट याचिका दायर की है, इसलिए आवश्यक पक्षकारों के अभाव में इसे खारिज किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिवचन और संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया।

13. ऋचा मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका (सेवा) संख्या 3809 वर्ष 2007 में जो आयु में छूट का दावा करती है, प्रतिवादी संख्या 3, एक चयनित उम्मीदवार को पक्षकार उत्तरवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था और पूरे मामले में उनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया गया था। 23 मार्च, 2009 को सुनवाई के दौरान इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया :

"प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए संपूर्ण चयन प्रक्रिया विद्यमान नियमों अर्थात नियम, 2005 के विपरीत है, जो कि भारत के

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित नियोजन की संवैधानिक उपबंध का उल्लंघन है।

पूर्वगामी को दृष्टिगत कर, राज्य सरकार को एक सप्ताह की अवधि के भीतर सूचना जारी करने और सभी चयनित उम्मीदवारों को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि उनका चयन डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3809/2007 (ऋचा मिश्रा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य) , डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3065/2008 (अहिल्या मिश्रा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य), डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3202/2008 (सुमितपाल सिंह सलूजा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य), डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3203/2008 (संदीप अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य), डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3204/2008 (मोना दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य), डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3841/2008 (देवेन्द्र कुमार चौधरी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य), डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 4294/2008 (मुकेश प्रसाद कुशवाहा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य), डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 4384/2008 (विकास गोस्वामी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य), डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 4385/2008 (देवचरण पटेल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) और डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 4334/2008 (विश्वास राव, मसकी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के अधीन है। यह आगे स्पष्ट किया जाए कि यदि वे कोई अभ्यावेदन देना चाहते हैं या यदि कोई पक्ष जवाब दाखिल करना चाहता है, तो वे दो सप्ताह के अंदर ऐसा कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. राज्य सरकार द्वारा सूचना के प्रकाशन के बाद कुछ सफल उप पुलिस अधीक्षक अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए और अपना जवाब दाखिल किया, जैसा कि 29 अप्रैल, 2009 के आदेश पत्र से स्पष्ट है। एक सफल अभ्यर्थी ने 11 मई, 2009 को उसे आवश्यक पक्षकार

बनाने के लिए आवेदन पेश किया। तत्पश्चात आक्षेपित विज्ञापन के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक पद के लिए चयनित 17 और अभ्यर्थियों ने 21 जून, 2009 को अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि यदि चयन सूची में कोई बदलाव किया गया तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि उन्हें आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता कि सफल अभ्यर्थी जिनके प्रभावित होने की संभावना है, इस मामले में प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

15. आक्षेपित विज्ञापन संख्या 04/2005 दिनांक 27 अगस्त, 2005 को प्रकाशित हुआ था, जिसमें सूचित किया गया था, कि आवेदन पत्र दाखिल की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2005 हैं और प्रारंभिक परीक्षा 6 नवंबर, 2005 को आयोजित की जानी है और इसमें उप पुलिस अधीक्षक, जिला कमांडेंट नगर सेना, गृह (पुलिस) विभाग सहित विभिन्न लोक सेवक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उप पुलिस अधीक्षक के मामले में यह प्रावधान किया गया था कि उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के विज्ञापन दिनांक 23 अप्रैल, 2003 और गृह विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य के ज्ञापन दिनांक 3 जून, 2003 के अनुसार, न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष थी। यह भी प्रावधान किया गया कि आयु सीमा नियम, 2000 के अनुसार निर्धारित की गई है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विधि के इस प्रस्तावना पर कोई विवाद नहीं है, कि सामान्य नियम यह है कि नए नियमों से पहले की रिक्तियां पुरानी नियमों द्वारा शासित होगी, न कि नए नियमों द्वारा (***राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम कैला कुमार पालीवाल एवं अन्य***[1] की कं. 30 देखें)। यद्यपि, वर्तमान मामले में नियम, 2005 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय में पिछले नियमों को अधिक्रमित करते हुए बनाए गए थे और इस प्रकार, 28

जून, 2005 के पश्चात नियम, 2000 अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि उन्हें नियम 2005 द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया था। आक्षेपित विज्ञापन 27 अगस्त 2005 को जारी किया गया था। इस प्रकार, रिक्ति के लिये सुसंगत तिथि आक्षेपित विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 27 अगस्त, 2005 थी।

17. नियम, 2005 के 28 जून, 2005 से प्रभावी होने के पश्चात 27 अगस्त, 2005 के आक्षेपित विज्ञापन में नियम, 2000 की प्रयोज्यता अवैध और असंवैधानिक थी। नियम, 2005 की अनुसूची ।।। में (उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, प्रशिक्षण, पुलिस अकादमी, पीटीसी, पीटीएस सुरक्षा, लाइन आदि) क्षेत्र अधीक्षक और सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। दोनों नियमों के तहत शैक्षणिक योग्यता समान है। यह स्पष्ट है कि आक्षेपित विज्ञापन उस पद के सेवा नियमों के अनुसार प्रकाशित किया गया था, जिसके लिए नियुक्ति के लिए चयन किया गया था , अन्य लोक सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में कोई मामला नहीं है और इस प्रकार अन्य सेवा शर्तों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के मामले में यह स्थापित है कि नियम, 2005 के अनुसार, निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. गृह विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रथम अधियाचना 27 सितंबर, 2004 को प्रेषित की गयी थी , और दूसरी अधियाचना 22 मार्च, 2005 को प्रेषित की गयी थी , जिसमें संबंधित नियमों अर्थात नियम, 2000 का उल्लेख था, जिसके अनुसार 26 उप पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित की गयी थी । 18 अप्रैल, 2006 के बाद के अधियाचना में यह उल्लेख किया गया है। नियम, 2005 का पालन करने के लिये बाध्य किया गया था, जबकि आक्षेपित विज्ञापन 27 अगस्त, 2005 को जारी किया गया था और इस प्रकार तीसरी मांग का कोई औचित्य नहीं है।

इस प्रकार, सिद्ध होता है कि उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु संपूर्ण चयन प्रक्रिया पुराने नियमों अर्थात नियम, 2000 के आधार पर की गई थी, जिसे 28 जून, 2005 को अधिक्रमित/ निरसित कर दिया गया था।

19. ***सचिव,कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य*** [2] [1]के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

> *"43. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोक नियोजन में समानता के नियम का पालन हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और चूँकि विधि का शासन हमारे संविधान का मूल है, इसलिए न्यायालय निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को बरकरार रखने या। संविधान*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> *के अनुच्छेद 16 के सात अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता की अनदेखी करने का आदेश देने से अक्षम होगा। इसलिए लोक नियोजन की योजना के अनुरूप इस न्यायालय को विधि बनाते समय यह आवश्यक रूप से मान्य ना होगा कि जब तक नियुक्ति सुसंगत नियमों के अनुसार और योग्य व्यक्तियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के बाद नहीं होता है। तब तक यह नियुक्ति व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा"*

इस प्रकार, सफल अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति से उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता ।

---

[1] (2007) 10 SCC 260

20. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि भर्ती प्रक्रिया, जैसा कि सर्वविदित है क्षेत्र में लागू विधि या वैधानिक नियम के अनुरूप होनी चाहिए। (देखे कं. 10 ***भारत संघ व अन्य बनाम बी. वल्लूवन एवं अन्य***[32] ।

21. वर्तमान याचिकाओं में, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित विज्ञापन 27 अगस्त, 2005 को जारी किया गया था, जिसमें आक्षेपित विज्ञापन जारी होने से पहले लागू हुए नियम, 2005 अतिक्रमित कर दिया गया था और इस प्रकार अविद्यमान नियम, 2000 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर की गई नियुक्तियां अवैध और असंवैधानिक है।

22. ***मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम ललित कुमार वर्मा***[43] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> *"12. इस प्रकार, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या "अनियमित नियुक्ति" और "अवैध नियुक्ति"" में कोई अंतर है? दोनों शब्दों के बीच अंतर स्पष्ट है। यदि नियुक्ति, संवैधानिक उपबंधों और नियोक्ता द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों की पूर्ण अवहेलना करके की जाती है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" हैं, तो भर्ती अवैध होगी, जबकि ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहाँ संवैधानिक उपबंध और नियमों का पर्याप्त अनुपालन होने के बावजूद नियुक्ति इस अर्थ में अनियमित हो सकती है, कि कुछ नियमों के कुछ प्रावधनों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया हो"*

---

2 (2006) 4 SCC 1

3 (2006) 8 SCC 666

3

23. इसके अतिरिक्त ***अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य*** [54] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

"यह ऐसा मामला नहीं है कि नियुक्ति अनियमित थी। यदि कोई नियुक्ति अनियमित है तो उसे नियमित किया जा सकता है। न्यायालय अधिनियम के प्रावधनों के अर्थ में किसी अनियमितता को गंभीरता से नहीं ले सकता, लेकिन यदि कोई नियुक्ति अवैध है। तो वह विधि की दृष्टि में अमान्य है, जिससे नियुक्ति अमान्य हो जाती है"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. ***राजस्थान लोक सेवा आयोग*** (पूर्वोक्ति) मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी, कि किसी पद पर भर्ती उस क्षेत्र में लागू नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है, जहाँ नियुक्ति अनियमित थी।

25. ***धनंजय मलिक व अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य*** जिस पर पीएससी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विश्वास किया था, में सर्वोच्च न्यायालय ने ***मदनलाल एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य*** पर विश्वास करते हुए टिप्पणी की थी कि यदि याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में भाग लिया है ; तो उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सकता है। शिकायत की गई की चयन प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं थी।

---

4 (2007) 1 SCC 575

5 (2007) 4 SCC 54

6 2008 AIR SCW 2158

7 (1995) 3 SCC 486

26. वर्तमान मामलों में, नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान नियमों की अन्य व्याख्या या नियमों में संशोधन का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन चयन अस्तित्वहीन नियम, 2000 के आधार पर किया गया था, जिसे 28 जून, 2005 को नियम,,2005 द्वारा अधिक्रमित/निरसित कर दिया गया था। इस प्रकार धनंजय मलिक (पूर्वोक्ति) और मदनलाल (पूर्वोक्ति) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया वर्तमान याचिकाओं की तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता है।

27. वर्तमान मामलों में, याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदित आवेदन पत्र पीएससी द्वारा स्वीकार किए गए थे, जहाँ स्वीकार्य रूप से वे आयु सीमा के अंदर थे, यदि नियम, 2005 को लागू किया जाता है। निस्संदेह नियम, 2000 में अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष थी, लेकिन यह आक्षेपित विज्ञापन जारी करने की तिथि पर अस्तित्व में नहीं थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता इस धारणा के अनुसार हो सकते हैं, कि क्योंकि, नियम, 2005 उस समय अस्तित्व में थे और नियम, 2005 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष थी और उन्मे से सभी चयन और नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय 28 वर्ष की आयु सीमा के अंदर थे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर, याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार में भी भाग लिया। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ याचिकाकर्ता यह जानते हुए भी चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुए कि चयन प्रक्रिया अस्तित्वहीन नियमों में की गयी थी। इस प्रकार, चयन प्रक्रिया में उनकी वरीयता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए भी विचार किया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. याचिकाकर्ता द्वारा 29 जून, 2007 को डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3809/2007 दाखिल की गई थी और इस न्यायालय द्वारा 4 जुलाई, 2007 को सूचना जारी किया गया था। रिट याचिका को लंबित रखने के दौरान प्राधिकारियों ने नियुक्ति आदेश दी। तथापि, डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3202

वर्ष 2008 में भी इस न्यायालय ने दिनांक 26 जून, 2008 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :

"मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि उप पुलिस अधीक्षक के पद पर सभी नियुक्तियां इस रिट याचिका में लंबित कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन होंगी"।

29. यद्यपि, डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3809 वर्ष 2007 का संबंध है, जिसमें याचिकाकर्ता ने इस तथ्य के आधार पर आयु में छूट का दावा किया था कि वह शासकीय सेवा में थी। यह स्वीकृत है कि याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी, 2006 के नियुक्ति आदेश के अनुसार अर्थात निर्दिष्ट समय सीमा तिथि अर्थात 1 जनवरी, 2006 के पश्चात शासकीय सेवा प्राप्त की थी। इस प्रकार, वह आयु में छूट के लाभ की अधिकारिणी नहीं हो सकती। वस्तुतः, उसने नियम, 2005 में निर्धारित निर्दिष्ट समय सीमा तिथि से पूर्व छह महीने की सेवा की मूल आवश्यकता भी पूरी नहीं की है। इसलिए, शासकीय कर्मचारी होने के कारण उसे आयु में छूट का लाभ न देना उचित ही था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. यह उप पुलिस अधीक्षक के पद सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए संयुक्त लोक सेवा परीक्षा थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया और प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर उन्हें मुख्य परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार में भी भाग लेने की अनुमति दी गई। यद्यपि

अस्तित्वहीन नियमों पर आधारित था। चूंकि नियम, 2005 अस्तित्व में थे। इसलिए, वे सभी उम्मीदवारों पर लागू होंगे। इस स्तर पर पूरी सूची रद्द नहीं की जा सकती। तथापि, उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन सूची वरीयता के आधार पर नए सिरे से तैयार की जा

सकती है। यदि याचिकाकर्ता अपने विकल्प के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु वरीयता सूची में सफल पाए जाते हैं, तो उन्हें विधि अनुरूप नियुक्ति प्रदान की जाए।

31. पूर्वोक्त के दृष्टिगत और उपरोक्तानुसार उल्लेखित कारणों से:

- *याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया अनुतोष डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3809 वर्ष 2007 (ऋचा मिश्रा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) के मामले में शासकीय सेवा के आधार पर आयु में छूट के लाभ के संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने 24 जनवरी, 2006 को अर्थात निर्दिष्ट समय सीमा तिथि के पश्चात शासकीय सेवा में प्रवेश किया था।*
- *पीएससी द्वारा उप पुलिस अधिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 17 मई, 2007 को जारी की गई चयन।वरीयता सूची को रद्द कर किया जाता है और पीएससी को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को निर्दिष्ट आयु के अंतर्गत मानते हुए वरीयता के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए एक नई चयन सूची तैयार करें यदि वे नियम, 2005 के अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा तिथि पर 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अंदर थे। यदि याचिकाकर्ता उप पुलिस अधिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए वरीयता सूची में सफल पाए जाते हैं, तो उन्हें विधि अनुरूप नियुक्ति प्रदान की जावे।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. फलतः,रिट याचिकाएं उपरोक्त दर्शित सीमा तक स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

सतीश के.अग्निहोत्री, न्यायाधीश

अस्वीकरण

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translation By Chhabilal Banjare